



# INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

## राइटूरिप्लाइबदलसकताहैमीडियाकाचेहरा

सतीशकुमारसिंह

मॉसकम्यूनिवेशनकेछात्रोंऔरमीडियाकेआधेसेकमसदस्योंकोहीयेपताहैकिराइटूरिप्लाइ (उत्तरयासुधारकाअधिकार) क्याहै? वहइसलिएकिइसकीउपयोगिताभीउतनीहीहैजितनीइसकीलोकप्रियता।भारतजैसेलोकतांत्रिकदेशमेंभीराइटूरिप्लाइकमोबेशमीडियाकीमर्सी (दया) परनिर्भरहोकररहगयाहै।लोकतंत्रबिनास्वतंत्रसूचनातंत्रकेकामनहींकरसकता।खासकरमीडियामें।औरस्वतंत्रतामीडियाघरानोंकाविशेषाधिकारनहींहोनाचाहिए। 1

फ्रीडमआफस्पीड (अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता) केतहतराइटूरिप्लाइपर काफीसमय से चर्चा होरही है। दरअसल, इसकाकांसेप्टहीनिष्पक्षताकेसिद्धांतपरआधारितहै। सटीकताऔरनिष्पक्षता (accuracy and fairness) औरमानहानिकेप्रतिसजगता (caution against defamatory writing) दोऐसेबिन्दुहैं, जिनसेराइटूरिप्लाइकोकाफीहदतकसुनिश्चितकियाजाताहै।लेकिनयेदोनोंहीनैतिकरूपसेजरूरीहै, कानूनरूपसेनहीं।

उत्तरकेअधिकारकामतलबहैकिअगरकिसीव्यक्तिपरमीडियामेंहमलाहोताहैयाउसकेसम्मानकोठेसपहुंचतीहैतोविशेषपरिस्थिति (जोराज्यकेअनुसारबदलसकतीहै) कोछोड़करउसव्यक्तिकोअधिकारहोगाकिवहअपनाजवाबउसीमाध्यममेंप्रकाशितकरवाएजहांउसकेबारेमेंपहलेप्रकाशितहुआहै। 2 इसपरमीडियाकर्मियों, खासकरकईसंपादकोंनेकड़ीआपत्तिजताई।उनकामाननाहैकियहफ्रीडमआफस्पीचकेअधिकारकाहननहै।उसपरअंकुशहै।शायदइसीलिएआजतकराइटूरिप्लाइकोसंवैधानिकदर्जानहींमिलाहै। --

संपादककोअधिकारहैकिवहसरकारकीनीतियोंपरतीखेहमलेकरे, क्योंकिइससेकईविवादास्पदविचारसामनेआतेहैं।लेकिननिश्चितरूपसेएकसंभावितरूपसेबदनामकरनेवालेलेखकेउत्तरकोप्रकाशितनहींकरनेकाअधिकार मूल्योंकेउसीसीमातकगिरावटकीआशंकाकोजन्मदेताहै।”3

भारत में चाहेउत्तर केअधिकार कोसंवैधानिक दर्जा नहीं है, लेकिन यूरोपमेंऑस्ट्रिया, जर्मनी, फ्रांस, हंगरी, इटली, नीदरलैंड्स, नॉर्वे, स्पेन, स्विट्जरलैंडसमेतकईदेशोंमेंइसेअलग-

अलगकानूनोंकेजरियेकिसीनकिसीफॉर्ममेंलागूकियागयाहै। (4) यूरोपसेबाहरब्राजीलमेंयेसंविधानकाहिस्साहै।वहांकेलिखितसंविधानमेंडेरिईटोडेरैस्पोस्टा Direito de

resposta केरूपमेंहरव्यक्तिकाअधिकारहै।पुर्तगालीकेडेरिईटोडेरैस्पोस्टाकोइंग्लिशमेंराइटऑफरिप्लाइहीकहेंगे।



संयुक्तराष्ट्रने 24 अगस्त,

1962 को इंटरनेशनल राइट टू करेक्शन को मान्यता प्रदान की है। अमेरिका में इस अधिकार की कानूनी लड़ाई का काफी रोचक इतिहास रहा है। मगर आज की तारीख में वहां राइट ऑफ रिप्लाइ किसी भी स्वरूप में लागू नहीं है।

अमेरिका में इस कानून पर काफी बहस हो चुकी है। वहां फ्लोरिडा राज्य ने ऐसा कानून लागू किया था, मगर सुप्रीम कोर्ट में सरकार मिया मी हेराल्ड पब्लिशिंग कंपनी से मुकदमा हार गई। ये कानून प्रिंट मीडिया से जुड़ा था, जो रद्द कर दिया गया। 9

वहीं फेडरल कम्युनिकेशन्स कमिशन (एफसीसी) ने 1949 में फेयरनेस डॉक्टराइन लागू किया था। ये ब्रॉडकास्टर्स से जुड़ा था, जो उन्हें बाध्य करता था कि वे अपने एयरटाइम का कुछ समय जनता के हितों से जुड़े विवादों पर बहस को दें और इसमें काउंटरव्यू को भी प्रेजेंट करें। इसे 1969 में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। मगर शीर्ष अदालत ने इस पॉलिसी को सही माना। हालांकि 1987 में एफसीसी ने खुद ही इस पॉलिसी को खत्म कर दिया। 2011 में इसे फेडरल रजिस्टर से भी हटा दिया गया।

ब्रिटेन में मीडिया ने लागू किया, पर कानून नहीं

ब्रिटेन में ब्रॉडकास्टर्स व प्रिंट मीडिया संगठनों की अपनी रेगुलेटरी बॉडी जेकेगाइड लाइन्स में राइट ऑफ रिप्लाइ तो लागू है, मगर कोई कानूनी बाध्यता नहीं है।

बीबीसी British Broadcasting

Corporation (BBC) के संपादकीय दिशानिर्देशों में कहा गया है: जब प्रेस किसी की आलोचना करता है तो जि सकी आलोचना होती है उसे भी "जवाब का अधिकार" दिया जाना चाहिए। हां, अगर हम गंभीर आरोपों और अपराधी छ विकेलोगों का पक्ष लेते हैं तो ऐसी स्थिति में संपादकीय नीतिको देखना और कानूनी सलाह लेना अनिवार्य होता है। उत्तर का अधिकार के लिए कोई निर्धारित फॉर्मेट नहीं है। हम एक साक्षात्कार की पेशकश कर सकते हैं; पीड़ित पक्ष से लिखित बयान का अनुरोध कर सकते हैं। टेलीफोन पर हम उनका पक्ष ले सकते हैं। इन सभी विकल्पों को चुनने का सिर्फ एक ही आधार होगा-

अपराध या आरोप की गंभीरता। फॉर्मेट कुछ भी होले किन ये सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रभावित पक्ष की सभी जरूरी जानकारी, तथ्य और तर्क प्रकाशित हो जाएं। 10

उत्तर के अधिकार के लिए समय

प्रतिक्रिया की अनुमति के लिए समय की मात्रा को परिस्थितियों के अनुसार बदल जाएगा। समय तय करने के लिए आरोपों की प्रकृति और जटिलता को भी देखना जरूरी है। साथ ये देखना भी जरूरी है कि क्या जनहित में संबंधी समाचार का प्रसारण तुरंत करना जरूरी है कि नहीं। अगर नहीं तो समय और बढ़ाया जा सकता है। निष्पक्ष होने के लिए हमें उन तथ्यों को ही जवाब में शामिल करना चाहिए जिनके बारे में आरोप लगे हों। उन सामग्रियों को शामिल करना आवश्यक नहीं है जिन्हें आरोपों के लिए अप्रासंगिक माना जा सकता है।

अन्यदेशोंकीस्थिति

साउथअफ्रीकाकेसंविधानकेमूलड्राफ्टमेंराइटऑफरिप्लाइमौजूदथा, मगरजबसंविधानलागूहुआतोउसमेंसेयेहिस्साहटादियागया। (11)

कईदेशोंमेंअलग-

अलगकानूनोंमेंराइटऑफरिप्लाइकाप्रोवीजनतोहै, मगरस्पष्टतौरपरनहीं।उदाहरणकेलिएब्रिटेनकेमानहानिकानूनमेंयेप्रोवीजनहैकिजिसव्यक्तिकीमानहानिहुईउससेउसकापक्षपूछागयाकिनहीं।हालांकियदिमामलेमेंआरोपीबनायागयामीडियायेसाबितकरेकिउसनेपीड़ितसेपक्षजाननेकेलिएअनुरोधदियाथातोमामलाखत्महोजाताहै। (12)

कईदेशोंमेंरिट्रैक्शनयानीखंडनकेजरियेराइटऑफरिप्लाइलागूहै।इनदेशोंमेंयदिमीडिया, अपनीप्रकाशितयाप्रसारितखबरकाखंडनछापदेतोमानहानिकेएवजमेंभरेजानेवालेमुआवजेकीराशिकमहोजातीहै। (13)

राइटऑफरिप्लाइ : पक्षऔरविपक्ष

राइटऑफरिप्लाइ : पक्षऔरविपक्ष

1

इसअधिकारकोलागूकरनेकेपक्षधरयेमानतेहैंकिइसकेजरियेजनतातकपूरीतस्वीरऔरसहीतथ्यपहुंचतेहैं।

जबकिइसकेविरोधीयेमानतेहैंकियेएकसंपादककेअभिव्यक्तिकीस्वतंत्रताकेअधिकारकाहननहै।रिप्लाइकेतौरपरउसेवहबातप्रकाशित/प्रसारितकरनीपड़तीहैजिससेवहसहमतनहींहैऔरजिसेवहगलतमानताहै।

2

अधिकारकेपक्षमेंदलीलदीजातीहैकिलोकतंत्रमेंसूचनाऔरअभिव्यक्तिकानिर्बाधप्रवाह, खासतौरपरमीडियामें, अनिवार्यहै।मगरइसअधिकारकेबिनाफ्रीडमऑफस्पीचकाअधिकारसिर्फमीडियाघरानोंकीबपौतीबनजाताहै। (14) इसअधिकारकेजरियेहीअसलमेंहरव्यक्तिकेफ्रीडमऑफस्पीचकोसुनिश्चितकियाजासकताहै।

विरोधियोंकीदलीलहैकियेअधिकारलागूहोनेसेमीडियाकीवाँचडॉगकीभूमिकाबाधितहोतीहै।इसकीवजहसेमीडियाखुलकरकामनहींकरपाताहै।

3

अधिकारकेविरोधियोंकाकहनाहैकिइसकीवजहसेमीडियापरअतिरिक्तआर्थिकभारभीपड़ताहै।जिसव्यक्तियासमूहकेखिलाफरिपोर्टपेशकीजारहीहै, उससेपक्षलेनेमेंउसेअतिरिक्तखर्चवअतिरिक्तमानवश्रमलगानापड़ताहै।ऐसेमेंसंभवहैकिमीडियाहाउसउसखबरकोप्रकाशित/प्रसारितकरनेसेहीकतराए।

अधिकारकेपक्षधरकहतेहैंकिइसकेउलटयदिपीड़ितकेपक्षकेजरियेपूरीबातजनताकेसामनेआतीहैतोखबरमेंउसकीरुचिबढ़ेगी।इसकीवजहसेमीडियाहाउसकोप्रसारसंख्यायाव्यूअरशिपमेंबढ़ोतरीकालाभमिलेगा।

4

अधिकारकेविरोधमेंदलीलदीजातीहैकिइसकीवजहसेकिसीभीविवादितमुद्देमेंजनताकीरुचिकमहोजातीहै।खबरकापैनापनखत्महोजाताहै।जनहितसेजुड़ेमुद्दोंपरभीमामलाठंडापड़जाताहै।

अधिकारकेपक्षधरकहतेहैंकिजनतासेजुड़ेमुद्दोंमेंऐसाकोईप्रभावनहींपड़ताहै।राइटऑफरिप्लाइकीवजहसेजनताकीरुचिनहींघटतीहै। (15)

5

अधिकारकेविरोधीकहतेहैंकिकिसीअखबारयाब्रॉडकास्टरकोराइटऑफरिप्लाइकेतहतबाध्यनहींकियाजानाचाहिए।जिसव्यक्तियासमूहकेविषयमेंखबरदीजारहीहै, उसकेपासजनतातकअपनीबातपहुंचानेकेतमाममाध्यममौजूदहैं।

अधिकारकेपक्षधरोंकाकहनाहैकियेउम्मीदकरनागलतहैकिएकआमनागिरकएकसेज्यादाअखबारपढ़ेगायाविवादितमुद्दोंपरएकसेज्यादाशोदेखेगा।ऐसेमेंउसेमीडियामेंपूरेमामलेकासिर्फएकहीपहलूमिलेगाऔरउसकीधारणागलतबनेगी।

6

अधिकारकेविरोधी, खासतौरपरअमेरिकामें, येमानतेहैंकिकिसीकीमानहानिकेएवजमेंउसेमुआवजादियाजानाहीसबसेबड़ाअधिकारहै।इसकेअलावाखंडनभीबादमेंप्रकाशितकियाजासकताहै।

अधिकारकेपक्षधरकहतेहैंकिकोईभीमुआवजाउसछविकीक्षतिपूर्तिनहींकरसकताजोएकगलतखबरकेप्रकाशित/प्रसारितहोनेसेखराबहोतीहै।खंडनअक्सरखबरछपनेकेकाफीसमयबादछपताहैऔरवैसाप्रमुखस्थाननहींपाता, जितनाभ्रामकखबरकोदियागयाथा।ऐसेमेंएकगलतखबरसेखराबहुईछविकाअसरबहुतदूरतकजाताहै। (16)

राइटऑफरिप्लाईकासबसेव्यापकस्वरूप

फ्रांसमेंसिर्फखबरोंपरहीनहीं, यदिकिसीव्यक्तियासमूहकीआलोचनामेंकोईवैचारिकलेखछपताहैतोउसपरभीराइटऑफरिप्लाईकेतहतपक्षमांगाजासकताहै।मानाजाताहैकियेराइटऑफरिप्लाईकासबसेव्यापकस्वरूपहै।(17)

राइटऑफरिप्लाईकासंकीर्णतमस्वरूप

कुछदेशोंमेंजिसव्यक्तियासमूहकेखिलाफखबरप्रकाशित/प्रसारितहै, उसेहीयेसाबितकरनाहोताहैकियेखबरतथ्यात्मकरूपसेगलतहै। (18) येराइटऑफरिप्लाईकासंकीर्णतमस्वरूपहै।खबरप्रकाशित/प्रसारितहोनेकेबादबर्डनऑफप्रूफयानीउसेसहीसाबितकरनेकीजिम्मेदारीमीडियाकीहीहोनीचाहिए। (19)

राइटऑफरिप्लाईकासख्तस्वरूप

कईदेशोंमेंयदिकिसीव्यक्तियासमूहकीनकारात्मकछविपेशकरतीकोईतथ्यात्मकखबरभीछपतीहैतोउसकेलिएसंबंधितव्यक्ति/समूहकापक्षमांगाजाताहै।जरूरीनहींकिखबरगलतयामानहानिकरनेवालीहो, खबरछापनेकेलिएपक्षमांगाहीजाताहै।येराइटऑफरिप्लाईकासख्तस्वरूपहै।इसअधिकारकोलागूकरनेकेलिएभेदकरनाजरूरीहैकिकौनसीखबरकथिततौरपरछविखराबकरतीहैऔरकौनसीतथ्यात्मकरिपोर्टपरआधारितहै। (20)

स्पष्टहैकिजागरूकताऔरदंडनीयप्रावधानोंकेअभावमेंराइटऑफरिप्लाईमीडियाकीमर्जीपरनिर्भरहोकररहगयाहै।आमलोगोंकेयेपताहीनहींकिअगरउनकेसम्मानकोमीडियाबेवजहचोटपहुंचाताहैतोउनकायेहकबनताहैकिवहअपनीबातउसीमीडियाकेजरिग्लोगोंतकपहुंचाए।वर्तमानमेंपत्रकारउनकापक्षलेकरभीउनपरउपकारकरतेहैं।अगरयूरोपीयदेशोंकीतरहराइटऑफरिप्लाईकोकानूनीदर्जामिलेतोआमलोगोंकेहितोंकोकाफीहदतकसंरक्षितकियाजासकताहै।भारतमेंअभीऐसेमामलोंमेंमानहानि (भारतीय दंड संहिता की धारा 499 से 502 के तहत) कानूनकाइस्तेमालकियाजाताहै।

1. This is the famous aphorism of A. J. Liebling, see LIEBLING: *The press*. New York: Ballantine Books, 1964, 30–31.
2. THE RIGHT OF REPLY A *Comparative Approach*, ANDRÁS KOLTAY , page 204
3. ERIC BARENDT: Inaugural Lecture – Press and Broadcasting Freedom: does anyone have any Rights to Free Speech? *Current Legal Problems* (1991) 44, 63. at 71.
4. See generally SANDRA COLIVER: Comparative Analysis of Press Law in European and other Democracies. In *Press Law and Practice – A Comparative Study of Press Freedom in European and other Democracies*. Article 19 – International Centre Against Censorship, 1993, 272–273.
5. Press Council of India, NORMS OF JOURNALISTIC CONDUCT, 2010 Edition, page 17-18
6. Resolution (74) 26, adopted on 2 July 1974. – all instruments of the Council of Europe are available at [www.coe.int](http://www.coe.int).

7. Resolution (74) 26, adopted on 2 July 1974. – all instruments of the Council of Europe are available at [www.coe.int](http://www.coe.int).
8. Resolution 1003 (1993).
9. *Miami Herald Publishing v. Tornillo*, 418 U.S. 241 (1974).
10. <https://www.bbc.co.uk/editorialguidelines/guidelines/fairness/right-of-reply>
11. STEPHEN SEDLEY: Information as a Human Right. In JACK BEATSON – YVONNE CRIPPS (eds.): *Freedom of Expression and Freedom of Information. Essays in Honour of Sir David Williams*. Oxford: Oxford University Press, 2000, 243.
12. Section 15 (2) of British Constitution
13. COLIVER (n. 4. above), 272–273.
14. This is the famous aphorism of A. J. Liebling, see LIEBLING: *The press*. New York: Ballantine Books, 1964, 30–31.
15. ROGER ERRERA: Press Law in France. In *Press Law and Practice...* (n. 1. above), 68.; ULRICH KARPEN: Freedom of the Press in Germany. In *Press Law and Practice...*(n. 1. above), 87–88.
16. *Ibid.*, at 15.
17. ERRERA (n. 8. above), 68.
18. This is the Hungarian law, for example.
19. See the “presumption of falsity” in the United Kingdom and the *McVicar v. UK*(2002) decision by the European Court of Human Rights, 35 EHRR 22.
20. *Ibid.* 272. – This is the German, Dutch, Norwegian and Spanish solution.